7.1.24

पत्रावली पेश। वकील वादी - प्रतिवादी उप०। वकील उपस्थित की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र, गवाह बयान व मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीया को खातेदार घोषित करने हेतु निवेदन किया। विक्रय विलेख सं. 31/86 वर्तमान तक प्रभावहीन है तथा पश्चात-वर्ती सम्पूर्ण अन्तरण प्रारम्भत: शून्य व विधि विरुद्ध होने के आधार-है। वादीया को खातेदार [illegible] है। प्रतिवादी द्वारा न तो कोई साक्ष्य, न कोई बयान पेश किये हैं और न ही कोई वैध दस्तावेज पेश किये हैं जिस आधार पर वादिया के कथन को गलत साबित किया जा सके। वकील प्रतिवादी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिवादी ने कोई तथ्य, दस्तावेज या गवाह पेश नहीं किये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया गया। वादपत्र, वादी के बयान, TDR रेवेन्यू की मौका रिपोर्ट, वकील उपस्थित के बहस कथनों व तथ्यों व प्रदर्श 1-4 का भली भांति अवलोकन किया व संगत विधिक प्रावधानों का विश्लेषण किया गया। प्रथमदृष्टया वादीया के कथनों व उनके पक्ष के तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद आधार व कानून साबित होता है प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य तथ्य पेश नहीं किये गये। वादीया का वाद काबिल स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जावे। शा० पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर की जावे शा० मिसल हो।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर